संख्या-28/2016/ 704/35-3-2016-1(29) /2014

प्रेषक,

नवीन चन्द्र त्रिपाठी,
विशेष सचिव।
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
श्रावस्ती ।

नियोजन अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 22 मार्च,2016

विषय: वर्ष 2014-15 में बार्डर एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम के अन्तर्गत काजवे निर्माण परियोजना का स्थल परिर्वतन ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रसंख्या: 1887/ बी.ए.डी.पी. / 2015-16 दिनांक: 12 जनवरी, 2016 के सन्दर्भ मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद श्रावस्ती में शासनादेश संख्या-20/2015/952/35-3-2015-1(29)/2014 दिनांक: 15 जुलाई, 2015 के द्वारा जारी ग्राम कथरामाफी बंरगाघाट सर्म्पक मार्ग पर काजवे निमार्ण के स्थान पर नासिरगंज से जोगिया मार्ग पर ग्राम-लक्ष्मनपुर के आगे कटान पर काजवे निमार्ण की एतदद्वारा अनुमति प्रदान की जाती है।

1- शासनादेश संख्या:925 /35-3-2014-1(29)/2014 दिनांक: 17 नवम्बर, 2014 की शर्ते यथावत लागू रहेगी और यह शासनादेश इस सीमा तक संशोधित माना जाय।

2- काजवे का निमार्ण शासनादेश दिनांक: 17 नवम्बर, 2014 द्वारा स्वीकृत लागत रू. 52.39 लाख से ही पूर्ण कराया जायेगा। कोई अतिरिक्त धनराशि देय नही होगी ।

भवदीय,

(नवीन चन्द्र त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

संख्या- 28/2016/704 (1)/35-3-2016-1(29) /2014 तददिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन ।
2- प्रमुख सचिव, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग उ0प्र0 शासन ।
3- मण्डलायुक्त, देवीपाटन मण्डल।
4- महालेखाकार, प्रथम(लेखा एवं हकदारी) इलाहाबाद, उ0प्र0 महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय) इलाहाबाद।
5- निदेशक, सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन , लखनऊ ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

7- अपर निदेशक, भूमि उपयोग परिषद को इस आशय से कि शासनादेश को विभागीय बेव साइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

8- कोषाधिकारी, श्रावस्ती ।

9- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5/ग्रामीण अभियन्त्रण अनुभाग ।

10- उप निदेशक, (अर्थ एवं संख्या) देवीपाटन मण्डल।

11- अर्थ एवं संख्याधिकारी, श्रावस्ती ।

12- राज्य योजना आयोग-।

13- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(नवीन चन्द्र त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.upnic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।